

16/8/17 को पेश हुआ। पीठासीन अधिकारी अन्य जयों में व्यस्त हैं / भ्रमण पर है फ़ावली मस आदेशानुसार दिनांक 16/08/17 को पेश हो

16/8/17

पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 13/9/17 को पेश हो।

13/9/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य जयों में व्यस्त हैं / भ्रमण पर है फ़ावली मस आदेशानुसार दिनांक 11/10/17 को पेश हो।

11/10/17

वकील वाकीगण उपस्थित। फ़ावली वाले नलकी व कायम मुकाम आवश्यक रूप से दिनांक 18/10/17 को पेश हो।

18/10/17

फ़ावली पेश हुई। वकील वाकीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य जयों में व्यस्त हैं / भ्रमण पर है फ़ावली मस आदेशानुसार दिनांक 12/12/17 को पेश हो।

12/12/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य जयों में व्यस्त हैं / भ्रमण पर है फ़ावली मस आदेशानुसार दिनांक 11/1/18 को पेश हो।

11/01/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य जयों में व्यस्त हैं / भ्रमण पर है फ़ावली मस आदेशानुसार दिनांक 15/02/18 को पेश हो।

15/2/18


पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पूर्व में काफी दिनों से प्रतिवादीगण को नलकी में चल रही है। वादीगण के अधिकाधिक हेतु आ दिनांक तक कोई भी कानून/नोटिस नलकाग पेश नहीं हुआ है। आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

प्रावधानानुसार " Dismissal of suit where Plaintiff, after
 summons returned unserved, fails for seven days to apply
 for fresh summons. - (1) where, after a summons
 has been issued to the defend, or to one of several
 defendants, and returned unserved, the plaintiff
 fails, for a period of seven days from the date of
 return made to the Court by the officer ordinarily
 certifying to the Court return made by the serving
 officers, to apply for the issue of a fresh sum-
 mons the Court shall make an order that the
 suit be dismissed as against such defendant,
 unless the plaintiff has, within the said period
 satisfied the Court that - (a) he has failed
 after using his best endeavours to discover the
 residence of the defendant who has not been
 served, or (b) such defendant is avoiding ser-
 vice of process, or (c) there is any other sufficient
 cause of extending the time, in which case the
 Court may extend the time for making such
 application for such period as it thinks fit."

उक्त आदेश ७ नियम ५ सीपीसी के तहत नलबी हेतु किराये
 प्रावधानानुसार वादीगण अधिकाधिक नलबी हेतु समन/नोटिस
 नलवाना हेतु समन/नोटिस नलवाना पेश करने के अभाव में
 वादीगण का कांड इसी तरह पर रखा गया है। परावली
 में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परावली फंसल शुभारं
 होकर कांड तत्काल शाखिल स्फुर हो।




 उप खण्ड अधिकारी
 बहमणगढ़ (सिकर)